अनवान : जीत सिंह .... बनाम ... पंचायत समि...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम... हुक्म... में ज...
02/01/23	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09/01/2023 को पेश हो। (sd)	
09/01/23	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (sd)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:22:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 62/2013

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थी
1. जीत सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी 62 एफ हाल आबाद 28 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।	1. मघर सिंह पुत्र गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. रूड सिंह पुत्र गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. जीवो पत्नी गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. नन्द कौर पुत्री गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. रणजीत कौर पुत्री गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. सदा कौर पुत्री गोपीराम जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 20.05.2013

उपस्थित: 1.श्री कुलदीप सिंह, रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,

दिनांक : 09.01.2023

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 11 की 14 विस्वा, किला नम्बर 20 सालम, किला नम्बर 21 सालम कुल 2 बीघा 14 विस्वा नहरी आराजी दिनांक 18.12.1977 को माननीय उपजिलाधीश श्रीकरणपुर द्वारा आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की समस्त राशि दिनांक 17.12.1990 को जमा करवा दी है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता को आवंटित रकबा सहवन से अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम से आवंटित रकबा में मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 को दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त रकबा प्रार्थी के पिता को आवंटित हुआ है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार कहा कि उसके पिता के नाम आवंटित कब्जाशुदा आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में ठीक करवा लेवे। पहले तो कहते रहे कि करवा ... से 1 माह पूर्व साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है ... के ... को आवंटित हुई है और प्रार्थी के पिता व प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाई गई है व ... के कब्जाकाश्त में है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी को दुरूस्त करवाने का हकदार है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार ... कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम से हटाकर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:22:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं हाने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 250 दिनांक 04.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी जीत सिंह के पिता वरयाम सिंह के नाम जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के चक 62 एफ के खाता संख्या 104 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 11 की 0.177 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 की 0.253 हेक्टैयर कुल 0.430 हेक्टैयर नहरी भूमि गैरखातेदारी दर्ज है जो कि जरिये इन्तकाल संख्या 103 हुक्मन दिनांक 18.07.1986 से दर्ज हुई है। अप्रार्थी मघर सिंह, रूड सिंह पिसरान गोपीराम नन्द कौर, रणजीत कौर, सदाकौर पुत्रियां गोपीराम, जिबो पत्नी गोपीराम जाति बावरी के नाम मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 ता 24 रकबा 2.226 हेक्टैयर, मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 19, 21 ता 25 रकबा 4.425 हेक्टैयर, मुरब्बा नम्बर 52/15 में 0.127 हेक्टैयर खाला कुल 6.778 हेक्टैयर नहरी मय खाला खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण को उक्त रकबा जरिये इन्तकाल संख्या 124 खातेदारी व इन्तकाल संख्या 319 विरास्त से प्राप्त है। जमाबन्दी सम्वत 2017 ता 20 के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 11 की 0.177 हेक्टैयर, किला नम्बर 20, 21 सालम-सालम कुल 2-14 बीघा वरयाम सिंह पुत्र बगू सिंह जाति बावरी सा. देह आराजी काश्तकार दर्ज है। खाता संख्या 59,60,61 में गोपीराम पुत्र प्रेम सिंह प्यारी तारी दुख्तर प्रेम सिंह जाति बावरी सा. देह खुदकाश्त अलाटी बतौर रिफूजी मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 ता 22, 52/15 की 0.10 बीघा कुल 7.06 बीघा, खाता संख्या 59 में दर्ज व खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता19, 22 ता 25 कुल 16.10 बीघा नहरी व खाता संख्या 61 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 23 ता 25 कुल 3 बीघा नहरी भूमि दर्ज है। इस प्रकार तीनों खाता संख्या 59,60,61 कुल 26.16 बीघा नहरी मय खाला भूमि अलाटी गोपीराम आदि के नाम दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग मिसल बन्दोबस्त में मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 11 की 0.14, किला नम्बर 20 सालम कुल 1-14 बीघा भूमि सिवाय चक काबिल काश्त व खाता संख्या 30/7 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 ता 25, मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 19, 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 52/15 की 0.10 बीघा खाला कुल 27.16 बीघा नहरी मय खाला गोपीराम पुत्र प्रेम सिंह प्यारी व तारी दुख्तर प्रेम सिंह जाति बावरी सा. देह (पुख्ता अलाटी) गैर खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2017 ता 20 में प्रतिवादीगण के नाम 26.16 बीघा भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार गैर खातेदार दर्ज थी। जिसमें वादीगण के वादपत्र में दर्शित मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 दर्ज नहीं था। मिसल बन्दोबस्त में यह किला शामिल कर प्रतिवादीगण के नाम 27.16 बीघा भूमि पुख्ता अलाटी गैरखातेदारी दर्ज हुई है। डीआरओ श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 3028 दिनांक 24.02.1988 अनुसार 26.16 बीघा भूमि (मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 25 शामिल नहीं) की खातेदारी सनद जारी की गई। मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 25 मिसल बन्दोबस्त से आज दिनांक तक प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदार राष्ट्रपति भारत सरकार चला आ रहा है। जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है। मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 पर आवंटी वरयाम सिंह के वारिस काबिज है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। ... की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली ... इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 104/97 की प्रति, चक 62 एफ, ... तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 105/... की प्रति, चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 33/26 की प्रति, चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2017-20 के खाता संख्या 5 की प्रति, चक 62 एफ की मिसल बन्दोबस्त 2027 ता 36 की प्रति, तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के आदेश क्रमांक 2335 दिनांक 15.07.1986 की प्रति,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:22:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जीत सिंह बनाम मघर सिंह आदि
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या 62/2013

चक 62 एफ के इन्तकाल संख्या 103 दिनांक 18.07.1986 की प्रति, चक 62 एफ के इन्तकाल संख्या 124 दिनांक 04.04.1988 की प्रति, चक 62 एफ के इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.08.2011 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा चक 62 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 33/26 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 सालम को अपने पिता वरयाम सिंह पुत्र रंगा सिंह के नाम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2017 ता 20 में प्रतिवादीगण के नाम 26.16 बीघा भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार गैर खातेदार दर्ज थी। जिसमें वादीगण के वादपत्र में दर्शित मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 दर्ज नहीं था। मिसल बन्दोबस्त में यह किला शामिल कर प्रतिवादीगण के नाम 27.16 बीघा भूमि पुख्ता अलाटी गैरखातेदारी दर्ज हुई है। डीआरओ श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 3028 दिनांक 24.02.1988 अनुसार 26.16 बीघा भूमि (मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 25 शामिल नहीं) की खातेदारी सनद जारी की गई। मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 25 मिसल बन्दोबस्त से आज दिनांक तक प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदार राष्ट्रपति भारत सरकार चला आ रहा है। जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है। मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 पर आवंटी वरयाम सिंह के वारिस काबिज है। हस्तगत प्रकरण में चक 62 एफ के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 की खातेदारी इन्तकाल संख्या 124 श्रीमान् जिला पुनर्वास अधिकारी एंव प्रबन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश से दर्ज किया गया है। लिहाजा श्रीमान् जिला पुनर्वास अधिकारी एंव प्रबन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा जारी सनद आदेश 3028 दिनांक 24.02.1988 में संशोधन हाजा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः वाद वादी अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:22:27 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर